परियोजना का नामः– राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में मनियाछीना– भाटगड़ मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 6108/111(2)/ 14–31(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 19.12.2014 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा बागेश्वर के अन्तर्गत मनियाछीना से भाटगाड़ होते हुए पगना तक मोटर मार्ग 04 कि.मी लम्बाई एवं रू0 68.04 लाख की (प्रथम चरण–यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

जनपद बागेश्वर में विधान सभा बागेश्वर का खरई क्षेत्र अभी भी यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। ग्राम लोब तोक मनियाछीना, सुतरगांव एवं भाटगाड़ अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। दाणोछीना–लोब–बेहरगांव निर्माणाधीन मोटर मार्ग के कि.मी. 5 में मनियाछीना नामक स्थान से इस मार्ग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। सर्वेक्षण उपरान्त स्वीकृत 4 कि0मी0 लम्बाई ग्राम सुतरगांव होते हुए भाटगाड़ में समाप्त हो जाती हैं। तद्नुसार 4 कि0मी0 में प्रभावित होने वाली वन भूमि का प्रस्ताव तैयार किया गया हैं। यातायात की सुविधा न होने से स्थानीय जनता को शासन द्वारा प्रदत्त 108 चिकित्सा वाहन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन गांवों में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपनी सेवायें नहीं देना चाहते जिससे क्षेत्र में मुख्य रूप से चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न होने से स्थानीय युवाओं का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है जिससे गांव खाली हो रहे है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा के साथ ही अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवायें देंगे जिससे चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध होने पर शिक्षित बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन रूकेगा। इसके साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगीं। इस ग्रामीण मार्ग के निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई में भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है और प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर के अन्दर वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार की गयी हैं जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग के संरेखण में आरक्षित वन भूमि एवं बांज वृक्ष भी प्रभावित नहीं होते हें।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण निर्माणाधीन दाणोंछीना–लोब–बेहरगांव मोटर मार्ग के कि0मी0.5 में मनियाछीना नामक स्थान से प्रस्तावित कियाा गया है। इसके अनुसार आरम्भ में नाप भूमि एवं उसके बाद बीच बीच में वन पंचायत, सिविल एवं नाप भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैन्ड कमं आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण दाणोंछीना–लोब–बेहरगांव मोटर मार्ग के कि0मी0.5 में मनियाछीना से ही आरम्भ किया गया है परन्तु इसमें अधिक वन भूमि आने से वृक्ष भी अधिक प्रभावित होते है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने एवं अधिक वन पंचायत क्षेत्र प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 4.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 1.6576 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 132 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर